प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – .06

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला. चौकी,एसीबी, स्पेशल यूनिट अजमेर .....थाना,सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2023.....
प्र. इ. रि. स. 256/23 दिनांक 21/9/2023

2. (अ) अधिनियम ... भ्र0नि0अधिनियम(यथा सशोंधन 2018) अधिनियम 1988 .....धारायें...7 पी0सी0 एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018).....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. .....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 432 समय 6:50 pm
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 16.05.2023 समय 05.30 पी.एम. .....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 16.05.2023 समय.....02.00 पी.एम.....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट अजमेर से पूर्व–पश्चिम दिशा में करीब 25 किलोमीटर.....
(ब) पता – तहसील कार्यालय किशनगढ जिला अजमेर .....
.....बीट सख्या .....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....

6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... **श्री मंगेश कुमार** .....
(ब) पिता का नाम **श्री सहदेव गुर्जर** .....
(स) जन्म तिथि /वर्ष साल.....**34 साल**.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय..... .....मजदूरी.....
(ल) पता **निवासी ग्राम मण्डावरीया तहसील किशनगढ जिला अजमेर** .....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
1. श्रीमती अंजू सैनी पत्नि श्री.वेदराज गहलोत जाति माली उम्र 36 वर्ष निवासी डेयरी के पास बालाजी मन्दिर के सामने घूघरा घाटी जिला अजमेर तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का बीती तहसील किशनगढ, जिला अजमेर हाल निलम्बित मुख्यालय तहसील पीसांगन जिला अजमेर

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
.....**6,000 रू0 रिश्वत राशि मांग**.....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
.....6,000 रू. रिश्वत राशि मांग.....
11 .....
विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवामें श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, अजमेर विषय रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि मै प्रार्थी मंगेश कुमार पुत्र श्री सहदेव जाति गुर्जर उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम मण्डावरिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर का रहने वाला हु हमारे गांव मण्डावरिया के खसरा न.01 मे करीब 28इ बीघा भूमि मे मेरे दादाजी श्री कानाराम पुत्र गोपीराम के हिस्से मे करीब साढे सात बीघा तथा दूसरे दादाजी श्री देवाराम जी के हिस्से मे करीब साढे सात बीघा भूमि हिस्से मे सामलाती भूमि मे से हिस्सा है जिस पर हम काबिज है। मेरे दोनो दादाजी की मृत्यु हो चुकी है उक्त भूमि का मेरे पिताजी एवं अन्य भाईयो के विरासत का नामान्तकरण खुलवाना है जिसके लिये मे हमारे गांव की हल्का पटवारी बीती तहसील किशनगढ की श्रीमती अंजू सैनी से करीब एक माह पूर्व मिला तो उसने मेरे एवं मेरे भाई करण से 10,000 रूपये नामान्तकरण खोलने की एवज मे मांग की परन्तु हमने मना कर दिया तो उसने मेरे भाई करण को डरा धमकाकर 3500 रूपये प्राप्त कर कलये तथा काम करने के उपरान्त शेष रूपये लेने के लिये बताया। दिनांक 14.05.23 को मै मेरे काम के संबंध मे श्रीमती अंजू सैनी से जरिये मोबाईल वार्ता की तो उसने मुझे करण के पिता के नाम का नामान्तकरण खोलने की बात कही तथा मेरे पिता के नाम का नामान्तकरण शेष होना अवगत कराया। तथा मेरे से नामान्तकरण खोलने के लिये सजरा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र मंगवाये जिस पर मै दिनांक 15.05.23 को दस्तावेज देने

हेतु बताया तो उसने कहा कि शेष रूपये लेकर आना। आरोपियो मेरे से मेरे पिता के नाम का विरासत नामान्तकरण खोलवे की एवज मे 10000 रूपये की मांग कर रही है मे उसे अपने जायज काम के बदले मे रिश्वत राशि नही देना चाहता हुं। मेरी किसी प्रकार की कोई राजस्व राशि भी बकाया नही है मै आरोपिया श्रीमती अंजू सैनी पटवारी जी को रिश्वत राशि नही देकर रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। कानूनी कार्यवाही करावे।

दिनांक 16.05.23

प्रार्थी
मंगेश कुमार पुत्र श्री सहदेंव
जाति गुर्जर उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम
मण्डावरिया तहसील किशनगढ जिला
अजमेर मो.न. 7877907168

कार्यवाही पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट–अजमेर

प्रकरण हाजा के संक्षिप्त हालात इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 16.05..2023 को परिवादी श्री मंगेश कुमार पुत्र श्री सहदेव जाति गुर्जर उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम मण्डावरिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष पर सूचना दी कि "हमारे गांव मण्डावरिया के खसरा नं0 1 मे करीब 28 बीघा भूमि मे से मेरे दादाजी श्री कानाराम पुत्र गोपीराम के हिस्से मे करीब साढे सात बीघा भूमि तथा दुसरे दादाजी श्री देवारामजी के हिस्से मे करीब साढे सात बीधा भूमि हिस्से मे है जो सामलाती भूमि है,जिस पर हम काबिज है। मेरे दोनो दादाजी की मृत्यु हो चुकी है, उक्त भूमि का मेरे पिताजी एवं अन्य भाईयों के विरासत का नामान्तकरण खुलवाना है। जिसके लिए मै मेरे गांव की हल्का पटवारी श्रीमती अंजु सैनी,पटवार हल्का बीती, पंचायत समिति तिलोनिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर से करीब एक माह पूर्व मिला तो उसने मेरे एवं मेरे भाई करण से 10,000 रूपये की मांग कर नामान्तरण खोलने की एवज मे मांगे परन्तु हमने मना कर दिया, तो उसने मेरे भाई करण को डरा धमकाकर 3,500 रू0 प्राप्त कर लिए तथा काम करने के उपरान्त शेष रूपये लेने के लिए बताया है। दिनांक 14.05.23 को मैने मेरे काम के सम्बन्ध मे श्रीमती अंजु सैनी पटवारी के मोबाईल पर वार्ता की, तो उसने मुझे करण के पिता के नाम का नामान्तरण खोलने की बात कही तथा मेरे पिता के नाम का नामान्तरण खोलना शेष होना अवगत कराया। मेरे से नामान्तरण खोलने के लिए सजरा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र मंगवाये, मेरे को दिनांक 15.05.23 को दस्तावेज देने हेतु बताया तथा कहा कि शेष रूपये लेकर आ जाना। आरोपिया पटवारी मेरे से मेरे पिता के नाम का विरासत का नामान्तकरण खोलने की एवज मे 10,000 रू0 की मांग कर रही है। मै उसे अपने जायज काम के बदले मे रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो के आधार पर मामला पीसी एक्ट का घटित होने की संभावना को मध्यनजर रखते हुए मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय के श्री लखन कानि0 नं0 420 को कार्यालय कक्ष मे बुलाकर परिवादी के मोबाईल नम्बर से वार्ता करवाई जाकर उसके मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के बारे मे अवगत कराया गया। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय नया मैमोरी कार्ड ईश्यू करवाकर श्री लखन कानि0 को परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु किशनगढ के लिए समय करीब 02.40 पीएम पर रवाना किया गया तथा परिवादी को भी कानि0 से सम्पर्क करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान कर किशनगढ मे उपस्थित रहने के निर्देश दिये गए। समय 05.30 पी.एम. पर कार्यालय के श्री लखन कानि0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिए दूरभाष अवगत कराया कि आरोपिता श्रीमती अंजु सैनी पटवारी पटवार हल्का बीती तहसील किशनगढ जिला अजमेर व परिवादी के मध्य रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता की कार्यवाही करवाई जा चुकी है तथा मैमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को सुने जाने पर आरोपिता श्रीमती अंजु सैनी पटवारी द्वारा परिवादी श्री मंगेश कुमार से उसके पिता एवं भाईयों के नाम से विरासत का नामान्तकरण खोले जाने की एवज मे 10,000 रू0 की मांग करते हुए 3,500 रू0 पूर्व मे तथा आज रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय 500 रू0 प्राप्त करते हुए शेष रिश्वत राशि 6,000 रू0 मांगे जाने की ताईद हुई है। उक्त वार्ता कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकार्डर मे दर्ज है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से प्रार्थना पत्र एवं रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित आने

के निर्देश दिये गए। रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही के दौरान हुए तथ्यो के बाबत् कार्यालय के श्री लखन कानि0 ने जरिए दूरभाष मन् उप अधीक्षक पुलिस को हालात अर्ज किये कि मै समय करीब 02.40 पीएम पर कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 03.15 पीएम पर आर0के0 कम्यूनिटी सेन्टर किशनगढ स्थित चौराहे पर पहुचा। जहा मुझे पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री मंगेश कुमार गुर्जर उपस्थित मिला। जिसने मुझे एक हस्ताक्षरयुक्त लिखित प्रार्थना पत्र व दस्तावेजं प्रस्तुत करते हुए बताया कि मेरे गांव मण्डावरिया मे मेरे दादाजी श्री कानारामजी व देवारामजी के हिस्से मे करीब 15 बीघा कृषि भूमि आती है। मेरे दोनो दादाजी की मृत्यु हो चुकी है, मुझे हमारे ग्राम की हल्का पटवारी पटवार हल्का बीती तहसील किशनगढ की श्रीमती अंजु सैनी से विरासत का नामान्तकरण खुलवाया जाना है। जिसने मेरे से पूर्व मे 3,500 रू0 प्राप्त कर लिए है तथा वह बार–बार मेरे मोबाईल फोन पर वार्ता कर मेरे से मांगे गये 10000 रूपये मे से शेष रिश्वत राशि 6,500 रू0 की ओर मांग कर रही है। वार्ता के दौरान परिवादी श्री मंगेश के मोबाईल नं 7877907168 पर आरोपिता श्रीमती अंजू सैनी पटवारी के मोबाईल नं0 8302673416 से फोन आया। जिस पर मेने परिवादी के मोबाईल को रिसीव करवाकर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर मे मैमोरी कार्ड को संधारित कर चालू किया जाकर दोनो के मध्य हुयी वार्ता को रिकार्ड किया। रिकार्ड वार्ता के अनुसार आरोपिता पटवारी ने परिवादी को वार्ता करने हेतु तहसील कार्यालय किशनगढ मे आने हेतु कहा, जिस पर परिवादी ने बताया कि आप वही उपस्थित मिले, मै आपके पास आ रहा हूँ। परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता के अनुसार मन् कानि0 परिवादी की मोटरसाईकिल से आर0के0 कम्यूनिटी सेन्टर से रवाना होकर परासिया स्थित तहसील कार्यालय किशनगढ की ओर रवाना हुआ। समय करीब 03.45 पीएम के आस–पास तहसील कार्यालय किशनगढ से कुछ दूर पहले पहुचकर परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालु कर सुपुर्द किया जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय होने वाली वार्ता को तसल्ली से दर्ज करने की हिदायत प्रदान कर रवाना किया गया। मै स्वयं तहसील कार्यालय परिसर मे ही अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर आरोपिता व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ताओं को छुपाव हासिल करते हुए मेरे द्वारा देखा गया। आरोपिता व परिवादी के मध्य हुई वार्ताओं के पश्चात आरोपिता श्रीमती अंजु सैनी पटवारी तहसील कार्यालय किशनगढ से अपनी स्कूटी से अजमेर की ओर रवाना हो गई तथा परिवादी अपनी मोटरसाईकिल से किशनगढ शहर की ओर रवाना हो गया। जिस पर मै परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर परिवादी के पास पहुचा। जहा परिवादी ने मुझे डिजीटल वॉइस रेकार्डर सुपुर्द किया जिसे मेने प्राप्त कर बंद किया। तत्पश्चात परिवादी ने आरोपिता पटवारी से अपने कार्य व रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे वार्ता होना तथा पटवारी द्वारा 10,000 रू0 की मांग करते हुए 3,500 रू0 पूर्व मे तथा शेष 6,500 रू0 मे से 500 रू0 अभी वार्ता के दौरान मौके पर ही प्राप्त करना बताया तथा शेष 6,000 रू0 की रिश्वत राशि कल दिनांक को प्राप्त किये जाने की वार्ता हुई है। दर्ज वार्ताए मेरे द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालु कर सुनी गई तो दर्ज वार्ता के अनुसार परिवादी के द्वारा बताए गए कथनो की ताईद हुई। दर्ज हुई वार्ताओं के सम्बन्ध मे मेने आपको पूर्व मे जरिये दूरभाष अवगत कराया है।श्रीमान द्वारा प्राप्त निर्देशों की पालना मे परिवादी श्री मंगेश कुमार गुर्जर से लिखित प्रार्थना पत्र एवं भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज व सजरे, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिया मन् कानि0 के पास सुरक्षित रखी गई। श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी को कल दिनांक 17.05.23 को रिश्वत राशि 6,000 रू0 की व्यवस्था करने हेतु बताया, तो उसने मुझे कहा कि मेरे पास अभी रूपये की व्यवस्था नहीं है। मै कल प्रातः 07.00 एएम पर रिश्वत राशि लेकर आपके कार्यालय मे उपस्थित हो जाउंगा। बताये गये तथ्यो के आधार पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को आवश्यक दिशा–निर्देश देकर गोपनीयता बनाये रखते हुए नियत समय पर उपस्थित होने हेतु कहा गया तथा कार्यालय के कानि0 श्री लखन को प्रार्थना पत्र मय डिजीटल वॉइस रेकार्डर व मैमोरी कार्ड के उपस्थित आने के निर्देश प्रदान किये गए। दिनांक 16.05.23 समय 06.40 पी.एम. पर श्री लखन कानि0 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व प्रार्थना पत्र सुपुर्द कर उपरोक्त तथ्यो से अवगत कराया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को सुना तो कानि0 द्वारा बताए तथ्यों की ताईद हुई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों,

रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दर्ज हुई वार्ता के अनुसार आरोपिता पटवारी श्रीमती अंजू सैनी द्वारा परिवादी श्री मंगेश कुमार से उसके पिता व भाईयो के नाम विरासत का नामान्तकरण खोलने की एवज मे 10000 रूपये की मांग करते हुए शेष राशि 6000 रूपये कल दिनांक 17.05.2023 को प्राप्त किये जाने की ताईद हुई है। चूंकि रिश्वत राशि की व्यवस्था कर परिवादी ने कल दिनांक 17.05.23 को उपस्थित आने हेतु अवगत कराया है अतः परिवादी के उपस्थित आने पर स्वतन्त्र गवाहान की तलबी की जाकर आईन्दा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जावेंगी। कानि0 लखन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमारी कार्ड व परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपनी आलमारी मे सुरक्षित रखे। कार्यालय स्टाफ को आवश्यक हिदायत देकर कल दिनांक 17.05.23 को प्रातः 06.30 एएम पर उपस्थित आने के निर्देश दिये गए। दिनांक 17.05..2023 समय 10.45 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय कार्यालय का स्टाफ उपस्थित कार्यालय हाजा है। परिवादी द्वारा कल रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही होने के पश्चात आज लेन–देन की कार्यवाही की जाना नियत होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्टाफ के परिवादी के ईन्तजार मे कार्यालय मुकीम रहा। समय करीब 10.55 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री मंगेश कुमार गुर्जर के मोबाईल नं0 7877907168 पर वार्ता करने का प्रयास किया गया तो परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस का मोबाईल फोन रिसीव नहीं किया, थोडी देर बाद पुनः प्रयास किया गया तो परिवादी का मोबाईल स्वीच ऑफ होना बताया। परिवादी से वार्ता नहीं होने की स्थिति मे सम्भवतया रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं हुई हो अथवा अन्य किसी प्रकार की उसके परिवार मे सामाजिक कार्य होने की वजह से उपस्थित नहीं होने से मोबाईल फोन रिसीव नहीं कर रहा है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय मे उपस्थित रहकर ही परिवादी के उपस्थित आने के ईन्तजार मे अन्य राजकार्य मे व्यस्त रहा। परिवादी आज कार्यालय समय तक भी उपस्थित नहीं आया है। आईन्दा परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यों से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। दिनांक 25.06.2023 समय 12.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री मंगेश कुमार के मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क करने का प्रयास किया, परन्तु परिवादी का मोबाईल स्वीच ऑफ आया। आईन्दा परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जावेंगी। मन् उप अधीक्षक पुलिस दीगर राजकार्य मे व्यस्त हुआ। दिनांक 06.07.2023 को समय 09.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के राजकार्य से जयपुर गया हुआ वापसी मे किशनगढ शहर पहुचने पर परिवादी श्री मंगेश कुमार के मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क करने का प्रयास किया, परन्तु परिवादी का मोबाईल स्वीच ऑफ आया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री मंगेश कुमार के ग्राम मण्डावरिया की ओर जाकर उसके परिवारजनो से उसके बारे मे जानकारी हासिल की गई तो उन्होने मंगेश को मार्बल एरिया किशनगढ मे मजदूरी किया जाना अवगत कराया तथा किस फैक्ट्री पर कार्य करता है इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी। परिवादी से सम्पर्क नही होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नही की जा सकी, आईन्दा परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जावेंगी, हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गए। दिनांक 21.07.2023 समय 09.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के राजकार्य से ब्यूरो कार्यालय अजमेर से रवाना होकर किशनगढ शहर पहुच परिवादी श्री मंगेश कुमार के मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क करने का प्रयास किया, परन्तु परिवादी का मोबाईल स्वीच ऑफ आया। परिवादी के मोबाईल की लोकेशन प्राप्त कर परिवादी के कार्यरत फैक्ट्री हरमाडा रोड स्थित फैक्ट्रीयों पर तलाश की गई परन्तु असंख्य फैक्ट्रीया होने से परिवादी की लोकेशन बार बार चैंज होने की स्थिति मे परिवादी की उपस्थिति की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात् परिवादी के निवास स्थान ग्राम मण्डावरिया जाकर परिवादी की मालुमात की तो परिवारजन ने मार्बल एरिया मे मजदूरी की जाने बाबत अवगत कराया। परिवादी के परिवारजनो को आवश्यक हिदायत प्रदान कर मंगेश को मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर वार्ता करने एवं कार्यालय मे उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किये गए तो उन्होने मंगेश को वार्ता करने एवं उपस्थित होने के लिए शीघ्र ही कार्यालय मे भिजवाने का आश्वासन प्रदान किया गया। तदोपरान्त मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के अन्य प्रकरण मे वास्ते विचार विमर्श हेतु किशनगढ से जयपुर के लिए रवाना हुआ, हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गए। दिनांक 03.08.2023 समय 04.15 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान लखन कानि0 420 के सरकारी वाहन मय

चालक के कार्यालय से रवाना होकर किशनगढ शहर पहुचा। जहा परिवादी श्री मंगेश कुमार के मोबाईल फोन की लोकेशन के आधार पर परिवादी मंगेश कुमार की हरमाडा चौराहा के आस पास संचालित विभिन्न फैक्ट्रीयों मे तलाश की गई तो परिवादी श्री मंगेश कुमार मार्बल एरिया मे मजदूरी करता हुआ मिला। जिस पर परिवादी मंगेश कुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाकर वार्ता की गई तो अवगत कराया कि मेरे दुसरे दादाजी श्री देवाराम के पुत्र श्री करण द्वारा पूर्व मे ही हमारे गांव मे लगे कैम्प मे मेरे से बिना पूछे ही हमारे काम के सम्बन्ध मे हल्का पटवारी श्रीमती अंजु सैनी से मिलकर उसे अपने कार्य के लिए 6,000 रू0 देकर हमारा कार्य करवा लिया गया है तथा पटवारी से खोले गये नामान्तरण की प्रति भी प्राप्त कर ली है। मेने मेरे भाई श्री करण से पूछताछ की तो उसने बताया कि मेने अपने व आपके हिस्से के 6,000 रू0 अपनी हल्का पटवारी श्रीमती अंजु सैनी को देकर अपना नामान्तकरण कैम्प मे भरवा लिया है तथा अपना कार्य हो चुका है। ऐसी स्थिति मे आरोपिता श्रीमती अंजु सैनी से अब रिश्वत राशि का लेन–देन नहीं किया जा सकता तथा अब मेरा किसी प्रकार का कोई कार्य भी उसके पास लम्बित नहीं है। अब मुझे ट्रेप कार्यवाही नहीं करानी है। परिवादी ने वार्ता के दौरान अवगत कराया की अखबार मे प्रकाशित खबर के अनुसार आरोपिता श्रीमती अंजू सैनी के विरूद्ध आपके विभाग द्वारा ट्रेप कार्यवाही की जा चुकी है। मौके पर वार्ता के दौरान परिवादी से हुए तथ्यो के आधार पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। परिवादी को कल दिनांक 04.08.23 को प्रातः 10.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित होने के निर्देश प्रदान कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के ब्यूरो कार्यालय अजमेर पहुंचा। दिनांक 04.08.23 समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री मंगेश कुमार कार्यालय हाजा मे उपस्थित आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि मेरे पिता एवं मेरे भाईयों के नाम विरासत का नामान्तकरण पटवारी श्रीमती अंजू सैनी द्वारा हमारे ग्राम पंचायत मे लगे प्रशासन गांवो के संग कैम्प मे खोल दिया गया है तथा अब मेरा उसके पास किसी प्रकार का कोई कार्य लम्बित नहीं है। उक्त नामान्तकरण माह जून मे ही खोल दिया गया था तथा मेरे पास रूपए की व्यवस्था नहीं होने एवं मेरा कार्य हो जाने की वजह से मेने आपसे किसी प्रकार का कोई सम्पर्क नहीं किया। जानकारी के अनुसार अब अंजू सैनी पटवारी पटवार हल्का बीती पंचायत समिति तिलोनिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर का आपके विभाग द्वारा ट्रेप कार्यवाही भी किया जाना जानकारी मे है। अतः मै अग्रिम कार्यवाही नहीं करवाना चाहता हूँ। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों बाबत आवश्यक पूछताछ की जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार किए जाने हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय से एक तहरीर जारी कर कार्यालय भू–प्रबंध अधिकारी, भू–प्रबंधक विभाग, अजमेर से स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु कार्यालय के श्री दामोदर कानि0 को रवाना किया गया। श्री दामोदर कानि0 मय दो स्वतन्त्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आये जिनको मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम (1) श्री अमर सिंह पुत्र स्व0 श्री नन्द सिंह राठौड जाति राजपूत उम्र 55 वर्ष निवासी उत्तम नगर घुघरा एमडीएस युनिवर्सिटी के पास पुलिस थाना सिविल लाईन जिला अजमेर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय भू–प्रबंध विभाग जिला अजमेर (2) श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री टीकमचंद जाति कुमावत उम्र 26 वर्ष निवासी बूडसू रोड कुचामन सिटी पुलिस थाना कुचामन सिटी जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय भू–प्रबंध विभाग जिला अजमेर होना अवगत कराया। उपस्थित गवाहान को ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि किसी गोपनीय कार्यवाही की प्रकिया फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करने हेतु आपकी स्वतन्त्र गवाहान के रूप में आवश्यकता है तो उपस्थित गवाहान ने गोपनीय कार्यवाही के दौरान स्वतन्त्र मौतबिर बनने की अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की।उपस्थित परिवादी श्री मंगेश कुमार तथा तलबशुदा गवाहान श्री अमर सिंह व श्री मुकेश कुमार का आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया। उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मांग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ता जो मैमोरी कार्ड मे दर्ज है उक्त मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉइस रिकार्डर की सहायता से दर्ज वार्ता सुनी गई तथा परिवादी द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया तो गवाहान ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को सुनकर एवं पढकर संलग्न दस्तावेजो के बारे में परिवादी से पूछताछ कर उक्त कार्यवाही मे

स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति प्रदान करते हुए अपनी सन्तुष्टि जाहिर की। डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में आरोपिता श्रीमती अंजु सैनी पटवारी व परिवादी श्री मंगेश कुमार के मध्य दिनांक 16.05.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई दर्ज वार्ता को समय 12.15 पीएम पर कार्यालय के श्री कपिल कानिस्टेबल से वाईस रिकार्डर में मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से ऑपरेट कर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे सुंनी जाकरं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द–ब–शब्द तैयार की गई,तैयार की गई फर्द पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से 2 सीडियॉ तैयार की गई एवं मूल मैमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में रखकर सिल्डचिट कर न्यायालय हेतु तथा एक सीडी को पृथक कपड़े की थैली में सिल्डचिट कर आरोपी हेतु तैयार की गई एवं अन्य शेष दूसरी सीडी को कागज के लिफाफे में डालकर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी गई। कपड़े की थैलियों को सिल्डचिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर जमा मालखाना कराया गया तथा कागज के लिफाफे में रखी सीडी को अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखी जाकर शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त कार्यवाही मे सिल्ड की गई सीडीयो को चिट करने मे कार्यालय की सील का उपयोग किया गया कि, फर्द नमूना सील अलग से तैयार कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गई। चूंकि परिवादी ने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु इन्कार किया है एवं लिखित मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति मे अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाना संभव नही है एवं परिवादी का कार्य भी आरोपी द्वारा किया जा चुका है एवं आरोपिता पटवारी श्रीमती अंजू सैनी के पास किसी प्रकार का कोई कार्य भी लम्बित नही है। बाद कार्यवाही परिवादी, गवाहान को आवश्यक हिदायत प्रदान कर रूखस्त किया गया।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही से आरोपिता श्रीमती अंजु सैनी पटवारी पटवार हल्का बीती तहसील किशनगढ जिला अजमेर द्वारा लोकसेवक के पद पर पदस्थापित रहकर अपने पद का दुरूपयोग कर वैध पारिश्रमिक भत्ते के अतिरिक्त परिवादी श्री मंगेश कुमार गुर्जर से उसके दादा श्री कानाराम व श्री देवाराम के फौतगी विरासत का नामान्तकरण खोले जाने की एवज मे दिनांक 16.05.23 को 10,000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग करते हुए मौके पर ही 3,500 रू0 पूर्व मे व दिनांक 16.05.23 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी श्री मंगेश कुमार से 500 रू0 प्राप्त करना एवं शेष 6,000 रूपये की रिश्वत राशि दिनांक 17.05.23 को लिये जाने की मांग किया जाना मांग सत्यापन वार्ता से स्पष्ट प्रमाणित होना पाया जाता है। अतः आरोपिता श्रीमती अंजु सैनी पटवारी पटवार हल्का बीती तहसील किशनगढ जिला अजमेर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 का अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपिता श्रीमती अंजू सैनी पत्नि श्री वेदराज गहलोत जाति माली उम्र 36 वर्ष निवासी डेयरी के पास बालाजी मन्दिर के सामने धूघरा घाटी जिला अजमेर तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का बीती पंचायत समिति तिलोनिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर हाल निलम्बित मुख्यालय तहसील कार्यालय पीसांगन जिला अजमेर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित है।

(राकेश कुमार वर्मा)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
स्पेशल यूनिट–अजमेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राकेश कुमार वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती अंजू सैनी पत्नि श्री वेदराज गहलोत तत्कालीन पटवारी पटवार हल्का बीती तहसील किशनगढ, जिला अजमेर हाल निलम्बित मुख्यालय तहसील पीसागंन, जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 256/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

21.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः 2835-38 दिनांक 21.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. कलक्टर, जिला अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर।

21.9.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।